रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112022-240559
CG-DL-E-25112022-240559

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5265] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2022/अग्रहायण 3, 1944
No. 5265] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2022/AGRAHAYANA 3, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2022

का.आ. 5494(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 1242(अ), तारीख 8 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना (इसमें इसके पश्चात् द्वीप तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2019 कहा गया है) द्वारा कतिपय तटीय क्षेत्रों को द्वीप तटीय विनियमन जोन के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने और विस्तार करने, प्रचालन और प्रसंस्करण पर प्रतिबंध अधिरोपित किए गए थे;

और, केंद्रीय सरकार को विभिन्न हितधारकों अर्थात् राज्य सरकारों और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के माध्यम से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2019 में कतिपय संशोधनों को करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीआरजेड-। और सीआरजेड-IV क्षेत्रों में अवस्थित छोटी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण या राज्य सरकारों को तटीय विनियमन जोन मंजूरी प्रदान करने के लिए शक्तियों को प्रत्यायोजित करने, सीआरजेड-Iक क्षेत्रों को छोड़कर उसमें अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग और संबंद्ध सुविधाओं की छूट देने, यथा संशोधित तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 में पहले से उपलब्ध अस्थायी बीच (समुद्र तट) झोपडियों के उपबंध को शामिल करना और उक्त उपबंध का सभी तटीय राज्यों में विस्तार करना शामिल है;

और, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण ने 23 मार्च, 2021 को अपनी 42वीं बैठक में तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2019 में संशोधन करने की सिफारिश की है;

और, तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2019 में संशोधन करने के लिए सा.का. 4547(अ) तारीख 1 नवंबर, 2021 द्वारा जारी प्रारूप अधिसूचना की प्रतिक्रिया स्वरूप प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की परीक्षा करने के लिए तारीख 19 अप्रैल, 2022 के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि तटीय विनियमन

जोन अधिसूचनाओं की एकरूपता और संदिग्धता को दूर करने के लिए द्वीप तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2019 में प्रस्तावित संशोधनों को शामिल किया जाए।

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है द्वीप तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2019 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उप-नियम 3 के खंड(क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा को हटाना जनहित में है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जनहित में उक्त नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा को छूट देते हुए सा.का. 1242 (अ) तारीख 8 मार्च, 2019 के द्वारा प्रकाशित उक्त द्वीप तटीय विनियमन जोन अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) पैरा 3 में, ''पैरा 5'' शब्द और संख्या के स्थान पर ''पैरा 4'' शब्द और संख्या रखी जाएंगी;

(ख) पैरा 4 में, उप-पैरा (iii) में, खंड (XIX) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे :-

''(xx) मुर्गी और पशु खाद्य सप्लीमेंट्स के लिए पारंपरिक समुदायों द्वारा मृत शेल का संग्रहण और पूर्व द्वीप तटीय विनियमन जोन मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी;

"(xxi) गैर-मानसून महीनों के दौरान पूर्णत: अस्थाई और मौसमी संरचनाओं (अर्थात् झोपडियों) को साधारणतया स्थापित किया जाएगा:

परंतु, इन संरचनाओं में उपलब्ध सुविधाएं, मानसून के महीनों के दौरान प्रचालन में नहीं रहेंगी।";

(ग) पैरा 7 में, उप-पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ii) आईसीआरजेड-I और आईसीआरजेड-IV क्षेत्रों में निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर, संचालित सभी विकासात्मक कार्यकलापों या परियोजनाओं, जो इस अधिसूचना के अनुसार विनियमित या अनुज्ञेय हैं, के संबंध में संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण की अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा तटीय विनियमन जोन मंजूरी के लिए कार्रवाई की जाएगी, अर्थात् :-

स्टैंड-एलोन जेट्टी, सॉल्ट वर्कस, स्लिपवेज़, अस्थाई संरचनाएं और अपरदन नियंत्रण उपाय (जैसे मेढ़ें, सी-वॉल, ग्रॉइनस, ब्रेकवाटर्स, जलमग्न चट्टानें, सैंड नरिशमैंट आदि)

जिन पर संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जाएगी।";

(घ) पैरा 8 में –

i. उप-पैरा (i) में, खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ड.) केंद्रीय सरकार द्वारा अभिज्ञात एजेंसियों द्वारा संबंधित तटीय क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय संधारणीय तटीय प्रबंधन केंद्र द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट, एचटीएल, एलटीएल और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के सीमांकन का प्रयोग करते हुए 1:4000 स्केल में द्वीप तटीय विनियमन जोन मानचित्र तैयार किया गया है।";

ii. उप-पैरा (ii) में, खंड (क), (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

'(क) पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अधीन आने वाली परियोजनाओं और कार्यकलापों के लिए तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण अपनी सिफारिशों को क्रमश: श्रेणी "क"और श्रेणी "ख" की परियोजनाओं हेतु केंद्रीय सरकार या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा ताकि पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन एक संयुक्त मंजूरी प्रदान की जा सके।

(ख) तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण, इस अधिसूचना के पैरा 7 के उप-पैरा (ii) में सूचीबद्ध परियोजनाओं या कार्यकलापों को छोड़कर, उन परियोजनाओं या कार्यकलापों के लिए केंद्रीय सरकार को अपनी सिफारिशों अग्रेषित करेगा जो पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में शामिल नहीं हैं, किंतु यह अधिसूचना उन पर लागू होती है और वे आईसीआरजेड-I या आईसीआरजेड-IV क्षेत्रों में स्थित हैं।

(ग) उन परियोजनाओं या कार्यकलापों जो पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में शामिल नहीं हैं, किंतु जिन पर यह अधिसूचना लागू होती है तथा वे आईसीआरजेड-II या आईसीआरजेड-

III क्षेत्रों में स्थित हैं या उन परियोजनाओं या कार्यकलापों, जो इस अधिसूचना के पैरा 7 के उप-पैरा (ii) में सूचीबद्ध है, के संबंध में संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्रस्तावक से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने से साठ दिनों के भीतर मंजूरी के लिए विचार किया जाएगा।

टिप्पण : परमाणु ऊर्जा विभाग या राष्ट्रीय रक्षा अथवा रणनीतिक अथवा सुरक्षा महत्ता से संबंधी परियोजनाओं से संबंधित सभी निर्माण कार्यकलापों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर द्वीप तटीय विनियमन जोन अनापत्ति अथवा सम्मिश्र मंजूरी प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जाएगी और इसमें वे परियोजनाएं शामिल नहीं होंगी जो आईसीआरजेड-II अथवा आईसीआरजेड-III में स्थित हैं अथवा पैरा 7 के उप पैरा (ii) में सूचीबद्ध है और जिन्हें केवल द्वीप तटीय विनियमन जोन मंजूरी की आवश्यकता है।

(ड.) पैरा 9 के पश्चात निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"10. द्वीप तटीय विनियमन जोन में रेत रोधनों को हटाया जाना – पारंपरिक तटीय क्षेत्र के समुदायों द्वारा अंतरज्वारीय क्षेत्र के भीतर केवल गैर मशीनीकृत हस्त चालित प्रणाली से रेत रोधनों को हटाया जाएगा। राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासन हस्त चालित ढंग से रेत को हटाने के लिए अनुमत किए गए स्थानीय समुदायों के व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण किए जाने की शर्तों के अध्यधीन विशिष्ट मात्रा सहित किसी विशेष क्षेत्र में विनिर्दिष्ट समयावधि में रेत को इस तरह से हटाने के लिए अनुमति प्रदान कर सकती है और उसे वार्षिक आधार पर नवीकृत करेगी।"

[फा.सं. 19-112/2013-आईए-III (पार्ट)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप खंड (ii) में का.आ. 1242(अ) तारीख 8 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार का.आ. 2095(अ) तारीख 5 मई, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2022

S.O. 5494(E).—Whereas the Central Government by the notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), number S.O. 1242(E), dated the 8th March 2019 (hereinafter referred to as the Island Coastal Regulation Zone notification, 2019), declared certain coastal stretches as Island Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;

And whereas, the Central Government have received representations from different stakeholders *viz.* the State Governments and Ministry of Petroleum and Natural Gas through Director General of Hydrocarbon for making certain amendments in Coastal Regulation Zone notification, 2019, *inter-alia*, for delegating the powers of giving Coastal Regulation Zone clearance to the State Coastal Zone Management Authorities or State Governments for small infrastructure projects located in CRZ-I and CRZ-IV areas, exempting exploratory drilling and associated facilities thereto except CRZ-IA areas and including the provision of temporary beach shacks as already available in Coastal Regulation Zone notification, 2011 as amended and expanding the said provision to all coastal states;

And whereas, the National Coastal Zone Management Authority in its 42nd meeting held on the 23rd March, 2021 has recommended making amendments to the Coastal Regulation Zone notification, 2019;

And whereas, the Expert Committee, constituted by the Central Government *vide* order dated 19th April, 2022 to examine the objections and suggestions received in response to the draft notification issued *vide* number S.O.4547 (E), dated the 1st November, 2021 to amend the Coastal Regulation Zone notification, 2019, has

recommended to include the proposed amendments in the Island Coastal Regulation Zone notification, 2019 also, to have uniformity in the Coastal Regulation Zone notifications and to avoid ambiguity;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the Island Coastal Regulation Zone notification, 2019.

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules, in the public interest, hereby makes the following amendments in the said Island Coastal Regulation Zone notification, published *vide* S.O. 1242(E), dated the 8th March, 2019, namely: -

In the said notification,-

(a) in paragraph 3, for the word and number "para 5", the word and number "paragraph 4" shall be substituted;

(b) in paragraph 4, in sub-paragraph (III), after clause (xix), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(xx) Collection of dead shells by traditional communities for poultry and animal feed supplements and shall not require prior Island Coastal Regulation Zone clearance;

(xxi) Purely temporary and seasonal structures (e.g. shacks) or customarily put up during non-monsoon months:

Provided that the facilities available in these structures shall remain non-operational during monsoon months.";

(c) in paragraph 7, for sub-paragraph (ii), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -

"(ii) All development activities or projects in ICRZ-I and ICRZ-IV areas, which are regulated or permissible as per this notification, shall be dealt with by the Central Government for Island Coastal Regulation Zone clearance, based on the recommendation of the concerned Coastal Zone Management Authority with the following exceptions namely:-

Stand-alone jetties, Salt works, Slipways, Temporary structures and Erosion Control Measures (like Bunds, Seawall, Groynes, Breakwaters, Submerged reef, Sand nourishment, etc.)

which shall be dealt by concerned Coastal Zone Management Authority.";

(d) in paragraph 8,-

(i) in sub-paragraph (i), for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

"(e) Island Coastal Regulation Zone map in 1:4000 scale, drawn up by the agencies identified by the Central Government using the demarcation of the HTL, LTL and ecologically sensitive areas as specified by National Centre for Sustainable Coastal Management for the concerned coastal area.";

(ii) in sub-paragraph (ii), for clauses (a), (b) and (c), the following of clauses shall be substituted, namely:-

'(a) For the projects or activities also attracting the Environment Impact Assessment Notification, 2006 number S.O. 1533(E), dated 14th September, 2006, the Coastal Zone Management Authority shall forward its recommendations to the Central Government or State Environment Impact Assessment Authority for Category "A" and Category "B" projects respectively, to enable a composite clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

(b) Coastal Zone Management Authority shall forward its recommendations to the Central Government for the projects or activities not covered in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, but attracting this notification and located in ICRZ-I or ICRZ-IV areas, except in respect of those projects or activities listed in sub-paragraph (ii) of paragraph 7 of this notification.

(c) Projects or activities not covered in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, but attracting this notification and located in ICRZ-II or ICRZ-III areas or those projects or activities listed in sub-paragraph (ii) of paragraph 7 of this notification, shall be considered for clearance by the concerned Coastal Zone Management Authority within sixty days of the receipt of the complete proposal from the proponent.

Note: All construction activities related to projects of the Department of Atomic Energy or related to National Defence or Strategic or Security importance shall be dealt with by the Central Government for Island Coastal Regulation Zone clearance or composite clearance, as the case may be, based on the recommendation of the concerned Coastal Zone Management Authority, except those located in ICRZ-II or ICRZ-III or listed in sub-paragraph (ii) of paragraph 7 and requiring only Island Coastal Regulation Zone clearance.';

(e) after paragraph 9, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"**10. Removal of sand bars in Island Coastal Regulation Zone**.-The sand bars in the intertidal areas shall be removed by traditional coastal communities only through a non-mechanised manual method. The State Governments and Union territory Administration may permit such removal of sand in the specified time period in a particular area along with a specific quantity subject to conditions such as registration of local community persons permitted to remove the sand manually and shall be renewed on yearly basis.".

[F.No. 19-112/2013-IA III(pt)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1242(E), dated the 8th March, 2019 and last amended, *vide* S.O. 2095(E), dated the 5th May, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.11.25 11:36:28 +05'30'